वादपत्र संख्या– 44 / 2012
प्रेमदेवी आदि बनाम प्रेमप्रकाश आदि
निर्णय दिनांक –20–05–2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **सुनिल कुमार चौहान, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद स. 44 / 2012

1. प्रेम देवी पत्नि सुरेन्द्रपाल उम्र 38 वर्ष
2. अनिता देवी पत्नि पप्पु उम्र 35 वर्ष
3. कमलेश देवी पत्नि सत्यवीर उम्र 33 वर्ष

(1 से 3) } जाति अहीर नि0 माजरा खुर्द तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

4. सुमित्रा देवी पत्नि सुभाष चन्द पुत्र वधु चन्द्रा
5. सुनील कुमार पुत्र सुभाष चन्द नवीरा चन्द्रा
6. सुमन
7. सुषमा
8. सुनिता
9. अन्जु

(6 से 9) } पुत्रीयान सुभाष चन्द नवीरा चन्द्रा

10. जगत सिंह पुत्र चन्द्रा

(4 से 10) } जाति अहीर नि0 खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू (राज0)

..............................वादीगण

– बनाम –

1. प्रेम प्रकाश
2. राजेन्द्र

(1 व 2) } पुत्रान रामकुमार जाति अहीर नि0 खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू (राज0)

3. निर्मला पुत्री रामकुमार पत्नि शीशराम जाति अहीर नि0 सुन्दरे तह0 अटेली जिला महेन्द्रगढ।
4. घासीराम ।......पुत्रान जुहारा
5. सजना देवी पत्नि प्रेम प्रकाश
6. सुनिता देवी पत्नि राजेन्द्र
7. लालीदेवी पत्नि रामनिवास
8. किरण देवी पत्नि रामपाल
9. उगन्ता देवी पत्नि यादराम
10. रामपाल
11. यादराम

(10 व 11) } पुत्रान रामनिवास

(4 से 11) } जाति अहीर नि0 खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू (राज0)

12. मुनेश पुत्री रामनिवास पत्नि राधेश्याम जाति अहीर नि0 लावन त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
13. मुकेश पुत्री रामनिवास पत्नि सत्यवीर जाति अहीर नि0 बवानिया त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
14. रामकला पुत्री तोताराम पत्नि राधेश्याम जाति अहीर नि0 खातोदडा त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
15. सुबेता पुत्री तोताराम पत्नि सीताराम जाति अहीर नि0 खातोदडा त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
16. जीतोबाई पत्नि प्रीतमसिंह जाति पंजाबी रायसिख नि0 मुडावा तह0 तिजारा नि0 अलवर राज0
17. हरिसिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर नि0 खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू (राज0)
18. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना।

..................**प्रतिवादीगण**

दावा :– घोषणात्मक एवं रिकार्ड ... एवं खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से
2. श्री महेश सांखला अधिवक्ता प्रति सं. 16 की ओर से

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादपत्र संख्या– 44/2012
प्रेमदेवी आदि बनाम प्रेमप्रकाश आदि
निर्णय दिनांक –20–05–2022

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 20–04–2022

वादीगण की ओर से निम्नानुसार पेश किया गया–

1. यह कि वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना में स्थित भूमि गत ख0न0 124 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार वादीया स0 1 लगा0 3 का विक्रेता प्रति. स0 17 हरिसिंह व उसका भाई बलबीर हिस्सा 1/2 तथा वादी स0 4 लगा0 9 के हकपूर्वाधिकारी सुभाषचन्द व वादी स0 10, हिस्सा 1/2 के खातेदार थे तथा अपने सम्पूर्ण 9 बीघा 9 बिस्वा रकबा पर काबिज थे।

2. यंह कि वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना स्थित भूमि गत ख0 न0 125 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार प्रति. स. 1 लगा0 3 व 4 हिस्सा 1/4 एवं प्रति. स. 5 लगा. 9 की विक्रताओं का पिता सिंधिया पुत्र परता हिस्सा 1/4 तथा प्रति. स. 10 लगा0 15 के हकपुर्वाधिकारी का हिस्सा 1/2 थे सिंधिया की मृत्यु होने पर उसके वारीशान ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा को प्रति. स. 5 लगा0 9 को बेचान कर दिया है गत ख0न0 125 के पूर्व मे सागवा गांव की सीमा लगती है।

3. यह कि वादीगण की भूमि गत ख.न. 124 के उत्तर में रास्ता गत ख.न. 123 रकबा 4 बिस्वा स्थित था तथा उक्त रास्ता के लगता हुआ खेत गत ख.न. 120 रकबा 4 बीधा 7 बिस्वा मनीया पुत्र खींचा का था जो वर्तमान में प्रतिवादीया स. 17 ने खरीद ली है।

4. यह कि वादीगण की भूमि गत ख.न. 124 के पश्चिम से सटकर रास्ता गत ख.न. 113 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा स्थित था तथा गत ख.न. 124 व 125 के दक्षिण में रास्ता गत ख.न. 126 स्थित था।

5. यह कि संवत 1995–96 के बन्दोबस्त पूर्व के नक्शा ट्रेस मे गत ख.न. 124 व 125 दोनो को ही गलती या लापरवाही से गत ख.न. 124 ही दर्ज कर दिया गया अर्थात गत ख.न. 124 तो सही दर्ज था लेकिन गत ख.न. 125 जो भौतिक रुप से गत ख.न. 124 के पूर्व मे स्थित है अर्थात बढते हुये कम में 124 के बाद पूर्व में 125 स्थित था उसको भी गलती से 124 दर्ज कर दिया गया जो रकबा से एवं नक्शा के आकार से सही रुप में गत ख.न. 124 के पूर्व मे गत ख.न. 125 स्थित है। यह तथ्य स्पष्ट होता है।

6. यह कि हाल ही में जब बंदोबस्त हुआ तो बन्दोबस्त विभाग ने गलती से या भूल अथवा लापरवाही से गत ख.न. 124 को तो गत ख.न. 125 मान लिया एवं गत ख.न. 125 को गत ख.न. 124 मान लिया अर्थात जो थे उनके विपरीत मान लिया एवं गत ख. न. 124 जिसका रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा था जिसका मिट्रीक प्रणाली में 2.39 है. रकबा बनता था उससे हाल ख.न. 175 रकबा 2.39 है0 निर्मित होना बताकर गलत मिलान क्षेत्रफल बना दिया तथा गत ख.न. 124 से गलत रुप से हाल ख.न. 174 रकबा 1.85 है. एवं ख.न. 171 रकबा 0.41 है. किता 2 रकबा 2.26 है. बनना बताकर नक्शा बना दिया तथा गत ख.न. 125 का कुछ रकबा हाल ख.न. 172 रास्ता में भी मिलना बता दिया अर्थात गत ख.न. 125 का रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा जिसकी मिट्रीक में रकबा 2.31 है. बनता है [illegible] 174 मे 1.85 है. रकबा शामील करना एवं हाल ख.न. 71 में 0.41 है. रकबा [illegible] ना व शेष 0.05 है. रकबा हाल ख.न. 125 जहां स्थित था वह से [illegible] ही अब कोई रास्ता है अर्थात भौतिक स्थिति गत ख.न. 124 [illegible] थी लेकि[illegible] बन्दोबस्त ने गलती व लापरवाही से पुराने नक्शा के गलत नम्बर अंकन [illegible] ख.न. 124 को गत ख.न. 125 मान लिया व गत ख.न. 125 को गलत [illegible] 124 मान लि[illegible] जो एक तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested

है एवं उक्त भूल के आधार पर की गई प्रविष्टि का कानून की नजर में कोई महत्व नही है जो दुरुस्ति योग्य है तथा पक्षकारों के हक व अधिकारों पर प्रभावहीन एवं शून्य है।

7. यह कि गत ख.न. 124 के उत्तर में रास्ता गत ख.न. 123 रकबा 4 बिस्वा स्थित था तथा गत ख.न. 124 के मध्य से कोई रास्ता नही था बल्कि गत ख.न. 124 के पश्चिम से गत ख.न. 113 स्थित था जो उत्तर में गत ख.न. 120 के भी पश्चिम से आगे उत्तर में स्थित है उक्त रास्ता गत ख.न. 113 व गत ख.न. 123 आज भी मौके पर भौतिक रुप से अपने पुराने स्वरुप में ही स्थित है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने गलती व लापरवाही से गत ख.न. 123 को गत ख.न. 120 से बने हाल ख.न. 170 में शामील कर दिया एवं उसका मिलान क्षेत्रफल भी दर्शित नही किया तथा गत ख.न. 113 रास्ता मे गत ख.न. 123 की बजाय गत ख.न. 124 का कुछ भाग शामील करना दर्ज कर दिया जबकि गत ख.न. 113 व 123 जैसे बन्दोबस्त पूर्व मौके पर थे वैसे ही आज भी है गत ख.न. 113 में गत ख.न. 113 में गत ख.न. 124 का रकबा शामील नही हुआ ना ही गत ख.न. 123 कोई रकबा शामिल हुआ लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने गलती व लापरवाही से गत ख.न. 123 को नक्शा से विलुप्त कर दिया एवं उसका 4 बिस्वा रकबा को गत ख.न. 124 मान कर गत ख.न. 113 से बनाऐं हाल ख.न. 162 में शामिल होना बता दिया। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने भूल एवं लापरवाही से गत ख.न. 123 को जो 4 बिस्वा अर्थात 0.05 है. रकबा हाल ख.न. 172 रास्ता में शामिल हुआ है उसे गलत रुप से हाल ख.न. 162 में शामिल होना बता दिया है तथा गत ख.न. 120 का नक्शा आकार में बड़ा बनाकर उसमें गत ख.न. 123 को शामिल कर दिया है जिससे जहां से गत ख.न. 123 स्थित था वहां से वह नक्शा में दर्ज नही है।

8. यह कि गत ख0न0 124 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा का हाल बन्दोबस्त ने नया नक्शा हाल ख0न0 171 व 174 के रुप में गलत बनाया तो गत ख0न0 124 के मध्य से अर्थात हाल ख0न0 171 व 174 को अलग करने वाला रास्ता हाल ख0न0 172 दर्शित कर दिया व इस हाल ख0न0 172 जिसके गत ख0न0 123 का 4 बिस्वा अर्थात 0.05 है0 रकबा शामिल हुआ है उसमें 0.05 है0 रकबा गत ख0न0 125 का शामिल होना बता दिया जबकि गत ख0न0 125 इसके आस पास ही नही है अर्थात यदि मौके पर इनकी भौतिक स्थित को देखें व नक्शा के आकार व जमाबन्दी के रकबा को एवं उपस्थित परिस्थितयों को देखते है तो जहां गत ख0न0 124 स्थित था वहां अब हाल ख0न0 174 व 171 एवं 172 का भाग स्थित है साथ ही हाल ख0न0 171 व 174 एवं इनके मध्य स्थित हाल ख0न0 172 वाले स्थान की पुराने व नये नक्शा ट्रेस से नपती करते है तो उसका रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 2.39 है0 रकबा ही होता है तथा हाल ख0न0 175 वाले स्थान के बन्दोबस्त पूर्व के नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस से नपती करते है तो उसका रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा अर्थात 2.31 है0 रकबा ही बनता है साथ ही हाल ख0न0 172 जहां नक्शा में स्थित है हाल ख0न0 175 उसके आस पास ही नही है इससे स्पष्ट है कि गत ख0न0 125 से हाल ख0न0 175 नही बन सकता है इस प्रकार समस्त गलतियां बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई है जो दुरुस्ति योग्य है।

9. यह कि गत ख0न0 124 रकबा 4 बिस्वा गै.मु. रास्ता था जो गत ख0न0 120 के दक्षिण व 124 के उत्तर मे स्थित था जो रिकार्ड में नक्शा एवं जमाबन्दी में दर्ज था उक्त रास्ता गत ख0न0 121 व 122 में प्रचलित था लेकिन जमाबन्दी व नक्शा में दर्ज नही था गत ख0न0 123 से पूर्व में गत ख0न0 121 व 122 में जो रास्ता प्रचलित था हाल बन्दोबस्त ने गत ख0न0 123 का रकबा 4 [illegible] 122 की कुछ रकबा शामिल करते हुये हाल ख0न0 176 बनाये है जबकि गलती से [illegible] के स्थान पर 125 अंकित किया है साथ ही उक्त रास्ता पहले [illegible] 124 से बने हाल नक्शा में उसे अंकित कर दिय है जो बन्दोबस्त ने बिना किसी [illegible] के आदेश या निर्णय अथवा डिकी के किया है इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग [illegible] गलती दुरुस्ति योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील [illegible])
उपखण्ड अ[illegible]
जिला झुन[illegible]

10. यह कि बन्दोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या निर्णय अथवा डिक्री के बाद वर्णित प्रविष्टियां एवं गलत नक्शा व मिलान क्षेत्रफल बनाने का कोई हक व अधिकार नही था उक्त सभी प्रविष्टियां वादीगण के हक व अधिकारों पर प्रभावहीन एवं शुन्य है तथा दुरुस्ति योग्य है।

11. यह कि वादीया स0 1 लगा0 3 ने प्रति.स. 17 से भूमि खरीद की है जैसे प्रविष्टियां भूल व लापरवाही से की उसी रिकॉर्ड अनुसार के अनुसार विक्रय पत्र पंजिकृत हो गये एवं मौके पर जैसे बन्दोबस्त पूर्व कब्जा कास्त था उसी अनुसार पंजीकृत हो गये एवं मौके पर जैसे बन्दोबस्त पूर्व कब्जा कास्त था उसी अनुसार वादीयागण स. 1 लगा. 3 काबिज कास्त हो गई है इसलिए प्रति.स. 17 को आवश्यक पक्षकार मानकर पक्षकार बनाया गया है।

12. यह कि वादीया भूमि गत ख0न0 124 के 9 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 2.39 है0 रकबा पर काबिज है तथा मौके पर वर्तमान में 2.39 है0 रकबा पर हाल ख0न0 171 व 17 व उसमें से दर्शाएँ 172 वाले स्थान पर काबिज है तथा ख0न0 175 जहां स्थित है उसका रकबा 2.39 है की बजाय 2.31 है0 है तथा ख0न0 172 हाल ख0न0 170 में से दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे हाल ख0न0 162 से फटकर मौके पर मौजूद है तथा हाल ख0न0 172 जहां ख0न0 172 व 174 के मध्य से दिखाया है वहां मौके पर नही है तथा हाल ख0न0 174 वाले स्थान का रकबा मौके पर 1.85 है0 के स्थान पर 1.98 है0 स्थित है लेकिन उक्त अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से वादीगण को भारी अपूर्तनीय क्षती है इसलिए वादीगण के लिये यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

13. यह कि दावा के लिए आधार विवाद गत बन्दोबस्त द्वारा गत ख0न0 124 व 125 दोनो को ही 124 दर्ज करने व उसके बाद हाल बन्दोबस्त द्वारा ख0न0 124 को 125 मानने व गत ख0न0 125 को 124 मानने व गत ख0न0 123 को नक्शा व रिकॉर्ड से विलुप्त कर देने तथा गलत रुप से हाल बन्दोबस्त द्वारा की गई गलतियां एवं गलत प्रविष्टियां कर दने से एवं ऐसा करने का बन्दोबस्त विभाग को कोई हब व अधिकार नही होने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है वैसे भी ऐसे दावों के लिये कानून में कोई मियाद नही है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है –

(क) कि वाके ग्राम खान्दवा तह0 बुहाना स्थित भूमि हाल ख0न0 171 व 174 के मध्य में दिखाऐं हाल ख0न0 172 को नक्शा से हटाया जाकर उसे हाल ख0न0 170 में से उसकी दक्षिणी सीमा में से ख0न0 169 तक दर्शाया जावें अर्थात गत ख0न0 123 के अनुसार नक्शा बनाया जाकर हाल ख0न0 170 व 169 में उक्त ख0न0 172 को दर्शाया जाकर उसी अनुसार नक्शा में तरमीम कर रिकॉर्ड दुरुस्ति किये जाने की कृपा करे।

(ख) कि वाके ग्राम खान्दवा तह0 बुहाना स्थित भूमि हाल ख0न0 174 का रकबा 1.85 है0 के स्थान पर 1.98 है0 दर्ज कर वादीया स. 1 लगा. 3 को 1/2 हिस्सा वादी स. 4 लगा. 9 का 1/4 व वादी स. 10 को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे एवं हाल ख0न0 175 का रकबा 2.26 है0 दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने की कृपा करे। तथा वादीगण स. 1 लगा. 3 का व वादी स. 4 लगा. 10 का खाता भी अलग विभाजित करने की कृपा करे।

अथवा

गत ख0न0 124 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 2.39 है0 रकबा से हाल ख0न0 171 व 174 बनना घोषित किया जाकर हाल ख0न0 172 रकबा 1.98 है0 घोषित किया जावे तथा ख0 न0 125 से हाल ख0न0 175 रकबा 2.31 है0 बनना घोषित कर हाल ख0न0 172 में गत ख0न0 125 का कोई रकबा शामिल नही होना घोषित किये जाने की ... तथा खाता भी अलग विभाजित करने की कृपा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को तलबी ... की गई प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व 4 लगायत 6 एवं 7 लगायत 15 व 17 की ओर से ... जवाब दावा पेश किया गया प्रतिवादी सं. 18 बावजूद तामील अनुपस्थित ... विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तथा प्रतिवादी सं. 16 की ओर से श्री महेश सांखला एडवोकेट उपस्थित आये तथा प्रतिवादी स. 16 की ओर से जवाबदावा निम्न प्रकारं से पेश किया कि:–

1. यह कि प्रार्थी ने भूमी ख.न. 170 रकबा 1.10 है0 को करीब 5 वर्ष पूर्व खरीद कर उसी समय से काबिज काश्त है इस भूमी में से कभी भी कोई रास्ता नही था प्रतिवादीया अपनी खरीदशुदा भूमी पर ही काबिज काश्त है।
2. यह कि वादीयागण का रास्ता ख.न. 171 व 174 के मध्य में से जाता है जिसका ख.न. 172 है वादीयागण के पास पहले से ही रास्ता है वादियागण ने महज प्रतिवादीया को हैरान व परेशान करने के लिये यह दावा पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादियागण का दावा मय हर्जा खर्चा के खारीज किये जाने की कृपा की जावें।

दोनों पक्षो के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई

1. आया वादीगण वादपत्र के अनुतोष ए के अनुसार नक्शा दुरूस्त करवाने का अधिकारी है?
   ....भार वादी
2. आया वादीगण वाद पत्र के अनुतोष बी के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है? .... भार वादी
3. आया वादीगण का रास्ता खसरा नं. 171 व 174 के माध्यम से खसरा नम्बर 172 स्थित है दावा प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने के लिये किया गया है?
   .... भार प्रतिवादी
4. अनुतोष?

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह प्रेमदेवी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण को बार – बार अवसर देने पर पेश नही होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई तथा मौके की रिपोर्ट भी तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामील पत्रावली की गई बहस सुनी गई ।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 28 का अवलोकन किया गया नक्शा सम्वत् 1980 व नक्शा सम्वत् 1939–40 का अवलोकन किया गया नक्शा प्रदर्श 2 के अनुसार गत ख.न. 124 के पश्चिम में रास्ता ख.न. 113 स्थित है तथा इसके उत्तर में रास्ता गत ख.न. 123 स्थित है अर्थात गत ख.न. 124 मे से कोई रास्ता मुताबिक रिकोर्ड व नक्शे के नही है नक्शा प्रदर्श 1 व 2 की तुलना करने पर हाल ख.न. 171 व 174 गत ख.न. 124 से बने है तथा हाल ख.न. 172 रास्ता जो ख.न. 171 व 174 से दिखाया है वह भाग गत ख.न. 124 से ही बना है हाल ख.न. 172 ख.न. 170 की दक्षिणी सीमा मे से गत ख.न. 123 के रूप मे था जो वही से कायम किये जाने योग्य है। तथा हाल ख.न. 175 मुताबिक नक्शा गत ख.न. 125 से बना है इस प्रकार जिस स्थान पर हाल ख.न. 171 व 174 एवं इनके मध्य से ख.न. 172 दर्शाया गया है वह भूमि वादीगण की है तथा जहां से ख.न. 175 नक्शे मे दर्शाया है वह स्थान वाली भूमि प्रतिवादीगण की है अर्थात हाल ख.न. 174 व 171 के स्थान वाला रकबा 2.39 है. है इस प्रकार वादीगण हाल ख.न. 171 व 174 के खातेदार घोषित किये जाने योग्य है एवं हाल ख.न. 174 [illegible] 1.85 है. के स्थान पर 1.98 है. घोषित किये जाने योग्य है तथा हाल ख.न. 175 का [illegible] के स्थान पर 2.26 है. घोषित किये जाने योग्य है तथा हाल ख.न. 172 मे गत ख.न. 12[illegible] कोई रकबा शामील नही होना साबित होता है अर्थात जो भूमि वादीगण के कब्जे है [illegible] प्रतिवादीगण के नाम है तथा जो भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे मे है [illegible] के नाम है इस तथ्य को पटवारी रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दिनांक 20.04.2021 से भी बल मिलता है इस प्रकार तनकी नम्बर 1 व 2 साबित करने मे वादीगण सफल रहे है इसलिये तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय वादीगण के हक मे किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 की सिद्धी का भार प्रतिवादी सं. 16 पर था प्रतिवादी सं. 16 की ओर से कोई भी दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई तथा दोनों नक्शो प्रदर्श 1 व 2 से भी यह साबित है कि हाल ख.न. 172 हाल ख.न. 171 के उत्तर में स्थित ख.न. 170 मे से ही है जो गत ख.न 123 के रूप में नक्शा प्रदर्श 2 मे दर्ज है इस प्रकार तनकी नम्बर 3 साबित करने मे प्रतिवादी सं. 16 असफल रही है इसलिए तनकी नम्बर 3 का निर्णय प्रतिवादी सं. 16 के खिलाफ किया जाता है।

अनुतोष :– तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय वादीगण के हक में है तथा तनकी नं. 3 का निर्णय प्रतिवादी सं. 16 के विरूद्व होने से वादीगण का दावा डिक्री योग्य है।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 20–01–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 22–04–2022 को प्राप्त हुई । उभय पक्षकरान ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फोलोअप कैम्प खान्दवा में उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, 174, 175, का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–8" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुत्ताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–8" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–8" व नक्शा प्रदर्श "बं" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20-05-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादपत्र संख्या– 44 / 2012
प्रेमदेवी आदि बनाम प्रेमप्रकाश आदि
निर्णय दिनांक –20–05–2022

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

सुनिल कुमार चौहान , आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 44 / 2012

प्रेम देवी आदि बनाम प्रेमप्रकाश आदि

दावा :– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती एवं खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 16 की ओर से **श्री महेश सांखला एडवोकेट** उपस्थित इस वाद में आज तारीख .....को **श्री सुनिल कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और प्राथमिक डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, 174, 175, का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–8" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–8" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–8" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

यह निर्णय आज दिनांक 20–05–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:11:48 IST
Reason: SelfAttested